न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/48/2025	2025/203	10.10.2025	13.01.2026

1.बचन कौर पुत्री स्व0 श्री हरनाम सिंह पत्नी श्री निरंजन सिंह, निवासी ग्राम जाहरखेडा, तहसील अलवर, जिला अलवर राजस्थान।
2.हरबंश कौर उर्फ रत्तो पुत्री स्वी श्री हरनाम सिंह पत्नी सतवन्त सिंह उर्फ बल्लू जाति सिक्ख हाल निवासी ग्राम झारेडा, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

——अपीलांट्स

बनाम

1.देशासिंह पुत्र स्व0 श्री हरनाम सिंह, जाति सिक्ख, निवासी ग्राम बन्धेडी, तहसील लक्ष्मणगढ (मृतक) जरिये वारिसान
1/1.सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा पुत्र स्व0 श्री देशा सिंह जाति सिक्ख, निवासी डी ब्लाक कालकाजी, गुरूद्वारा साहिब नई दिल्ली।
1/2.कर्म सिंह उर्फ पम्मा पुत्र स्व0 श्री देशासिंह जाति सिक्ख हाल निवासी रामनगर 60 फुट रोड नियर जे0पी0 कॉलोनी अलवर।
1/3.परमजीत कौर उर्फ पम्मी पुत्री स्व0 श्री देशासिंह पत्नी तरसेम सिंह जाति सिक्ख निवासी जहांगीरपुर गली न0 15, रूपनगर जहांगीर पुरी नई दिल्ली पिन न0 110042।
1/4. अमरजीत कौर उर्फ विक्की पुत्री स्व0 श्री देशासिंह पत्नी कुलवन्त सिंह निवासी रामनगर 60 फुट रोड नियर जे0पी0 कॉलोनी अलवर।
1/5.गीती कौर पुत्री स्व0 श्री देशासिंह पत्नी बिट्टू सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

——असल रेस्पोडेन्ट्स

2.तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज०)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 30.04.1985 जिसके जरिये स्व श्री हरनाम सिंह की आवंटन शुदा गैर खातेदारी की आराजी कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बन्धेडी तहसील लक्ष्मणगढ का सनद पट्टा संख्या 16 देशासिंह पुत्र हरनाम सिंह के नाम जारी किये जाने का आदेश बेजा व खिलाफ कानून सादिर फरमाया गया, वास्ते निरस्त फरमाये जाने उक्त आदेश व अन्य अनुतोष।

उपस्थितः—
01.श्री आनंद सिंह —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री महेन्द्र मेहरा —वकील रेस्पोडेन्ट् 1/1 लगा0 1/5
03.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 30.14.1985 जिसके द्वारा देशासिंह पुत्र हरनाम सिंह को सनद पट्टा संख्या 16 जारी किया गया है से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व स्व० श्री देशा सिंह आपस मे खास भाई बहन है। जिनके पिता श्री हरनाम सिह पुत्र श्री सुन्दर सिंह पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी थे। जिनको ग्राम बन्धेडी तहसील लक्ष्मण्गढ मे विस्थापित किया गया था तथा उस समय की केन्द्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्व० श्री हरनाम सिह जो हैड

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

ऑफ दी फेमिली थे, को परिवार के भरण पोषण हेतु 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी ग्राम बन्चेडी तहसील लक्ष्मणगढ मे आंबटित की गई थी। जिस पर उक्त श्री हरनाम सिंह का कब्जा बतोर गैर खातेदार के चला आ रहा था। श्री हरनाम सिहं के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके एकमात्र लडके देशा सिंह ने अपने आप को उनका एकमात्र जायज व कानूनी वारिस होना जाहिर करते हुए उनकी आवंटितशुदा गैर खातेदारी की आराजी का सनद पटटा अपने नाम जारी किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ ने बिना वारिसान की कोई जाँच किये हुए अपीलान्टस के बाला बाला एक तरफा मे स्व० श्री हरनाम सिंह की आंवटित शुदा गैर खातेदारी की आराजी कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा का सनद पटटा संख्या 16 दिंनाक 30.04.1985 को स्व० श्री देशा सिह के नाम जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है। वर्तमान मे उक्त श्री देशा सिह का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज व कानूनी वारिसान रेस्पो० संख्या 1 लागायत 5 है। जिनको पक्षकार बनाते हुए यह अपील माननीय न्यायालय में पेश है। स्व० श्री हरनाम सिह पुत्र श्री सुन्दर सिंह पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी थे। जिनको ग्राम बन्चेडी तहसील लक्ष्मणगढ मे विस्थापित किया गया था तथा उस समय की केन्द्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार परिवार के भरण पोषण हेतु आराजी खसरा न० 61 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 62 रकबा । बीघा 1 बिस्वा, 65 बीघा 3 बिस्वा 68 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 69 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 70 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 71 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 85 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 91 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 187 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बन्चेडी आवंटित की गई थी। उस समय जो खतौनी बनी थी उस खतौनी मे भी स्व० श्री हरनाम सिंह को बतौर है ऑफ दी फेमिली के दर्ज किया तथा अपीलान्ट व रेस्पो० संख्या 1 स्व० श्री देशा सिह उसके पुत्र व पुत्रिया है। उपरोक्त आराजी पर उक्त श्री हरनाम सिह का कब्जा अपने जीवनकाल तक बतोर खातेदार के चला आ रहा था, किन्तु अपीलान्टस भी अपने विवाह से पूर्व आंबटित शुदा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती थी एंव हमारा भाई देशा सिह भी पिता के साथ साथ उपरोक्त आराजी के कार्य काश्तकारी करता था। उपरोक्त आराजी परिवार के भरण पोषण के लिए आंबटित की गई थी, जिस कारण कानूनी रूप से उपरोक्त आराजी ने हम अपीलान्टस का भी समान भाग व समान हिस्सा होता है तथा हम विवाह के बाद भी समय समय पर उपरोक्त आराजी मे से अपना हिस्सा पैदावार के रूप मे प्राप्त करते रहे है।

श्री हरनाम सिंह के स्वर्गवास होने के बाद उनके लड़के श्री देशा सिंह जो हमारा भाई था, ने अपने आप को उक्त श्री हरनाम सिंह का एकमात्र जायज व कानूनी वारिस होना जाहिर करते हुए उपरोक्त आराजी का सनद पटटा अपने नाम जारी किये जाने के लिए एक आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ ने बिना स्व० श्री हरनाम सिह के वारिसान की जॉच किये हुए उपरोक्त आराजी का सनद पटटा संख्या 16 दिनाक 30.04.1985 को उक्त हरनाम सिंह के लडके देशा सिंह के नाम जारी किये जाने का आदेश बेजा व खिलाफ कानून सादिर फरमाया है। उक्त आदेश दिंनाक 30.04.1985 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टस को दिनाक 01.07.2015 को हुई जबकि हमारे भाई स्व० श्री देशा सिंह ने हमे हिस्सा आराजी व हिस्सा पैदावार देने से मना कर दिया और यह जाहिर किया कि उसने पिताजी की समस्त आराजी का पटटा अपने नाम पर जारी करा लिया है एंव उक्त पटटे के आधार पर उसके नाम इन्तकाल खातेदारी भी संख्या 54 तस्दीक किया जा चुका है इसलिए अब वह अपीलान्ट को ना तो कोई हिस्सा आराजी देगा और ना ही कोई पैदावार काश्त देगा। इस पर अपीलान्टस ने जानकारी हासिल करके व सनद पट्टा व इन्तकाल की नकल प्राप्त करते हुए उक्त पटटा व इन्तकाल के खिलाफ एक अपील न्यायालय अति. जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर के यहा प्रस्तुत की, जिस अपील का निर्णय न्यायालय अति. जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपील संख्या 11/36/2021 पर दिंनाक 15.07.2025 को करते हुए यह फाईडिग दी कि अपीलान्ट का मौजूदा अपील मे मुख्य अनुतोष यह है कि पटटेशुदा भूमि उनके पिता को आबटित हुई थी, जिसकी वह भी 2/3 भाग की अधिकारी है। अपीलान्ट का उक्त अनुतोष खातेदारी अधिकारो को विधि मे प्रथक से सुसगंत उपचार मौजूद है। जहाँ तक इन्तकाल संख्या 54 की वैधानिकता का प्रश्न है यह इन्तकाल मुताबिक सनद पटटा संख्या 16 के दर्ज होकर स्वीकार हुआ है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। इस आधार पर न्यायालय ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का आदेश दिंनाक 15.07.2025 को पारित किया है। इस प्रकार चूकि न्यायालय अति० जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपने उक्त निर्णय के तहत सनद पटटा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 के कम मे कोई निर्णय पारित नही किया है, बल्कि यह फाईडिग दी है कि अपीलान्टस को खातेदारी अधिकारो के लिए अलग से उपचार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मौजूद है। जिस निर्णय की रोश्नी मे यह अपील सदभावना पूर्वक माननीय न्यायालय में पेश है। न्यायालय अति० जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के उक्त निर्णय दिनाक 15.07.2025 के पश्चात अपीलान्ट ने उक्त सनद पटटे की पत्रावली को तलाश कराकर दिनाक 17.09.2025 को नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जिस पर दिनाक 17.09.2025 को नकल प्राप्त हुई। जिस पर बाद कानूनी सलाह आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है। इस प्रकार दिनाक 30.04.1985 से अब तक का समय नेकनियति व सदभावना से व विधिक कार्यवाहीसे व्यस्त होने के कारण धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अपील हाजा माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। जिस पर न्यायालय शुल्क 2 रूपया पेश है। आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ पत्रावली होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह निविवाद है कि विवादित आराजी स्व० श्री हरनाम सिह को पाकिस्तान से आने पर परिवार के भरण पोषण हेतु आंबटित की गई थी जिस पर हरनाम सिंह का कब्जा बतौर हैड आफ दी फेमिली के चला आ रहा था, किन्तु परिवार के भरण पोषण हेतु जो भूमि आंवटित की गई थी उसमे अपीलान्टस व स्व. श्री हरनाम सिंह के पुत्र देशा सिंह का भी समान भाग व समान हिस्सा था तथा उपरोक्त आराजी पर हरनाम सिंह के साथ साथ अपीलान्टस व उनका पुत्र देशा सिंह भी कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे थे। अपीलान्टस अपने विवाह के पश्चात भी समय समय पर पीहर आकर कार्य काश्तकारी करती थी और समय समय पर अपना हिस्सा पैदावार अपने भाई देशा सिंह से प्राप्त करती चली आ रही थी। पिताजी श्री हरनाम सिंह के स्वर्गवास होने के पश्चात हमारे भाई श्री देशा सिह ने उपरोक्त आराजी की बाबत सनद पटटा प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया । किन्तु उसने बदनियति पूर्वक इस तथ्य को छिपाया कि स्व० श्री हरनाम सिह की दो लडकिया यानि अपीलान्ट भी जायज व कानूनी वारिसान है।

उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ ने बिना किसी प्रकार की जाँच किये हुए व बिना वारिसान के बाबत जॉच किये हुए अपीलान्टस के बाला बाला एकतरफा मे पिताजी श्री हरनाम सिंह की आराजी 16 बीघा 4 बिस्वा का पटटा स्व० श्री देशा सिंह के नाम संख्या 16 दिनाक 30.04.1985 को जारी किये जाने का आदेश गलत तौर पर सादिर फरमाया है। कानूनन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ को अपना आदेश सादिर फरमाने से पूर्व मृतक के वारिसान के संबध मे जाँच किया जाना आवश्यक था एंव सर्वसाधारण के सूचनार्थ सार्वजनिक समाचार पत्र में भी नोटिस उनदारी शाया कराया जाना आवश्यक था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच किये हुए स्व० देशा सिंह से मिल्लत करते हुए उपरोक्त आराजी का पटटा तन्हा उसके नाम जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जो कानूनन गलत है और निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उक्त श्री हरनाम सिंह के परिवार के सजरे के संबध मे ग्राम पंचायत भैसंडावत तहसील लक्ष्मणगढ द्वारा दिनाक 21.07.2016 को एक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार भी हरनाम सिंह के एक पुत्र देशा सिंह व दो पुत्रिया बचन कौर व हरवंश कौर यानि अपीलान्टस को होना बताया है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी मे अपीलान्टस का 2/3 हिस्सा व स्व० श्री देशा सिह का 1/3 हिस्सा था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ ने मृतक श्री हरनाम सिंह की आराजी 16 बिस्वा 4 बीघा का सनद पटटा तन्हा देशा सिंह के नाम जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जो कानूनन गलत होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उक्त सनद पटटा कायम रहने से अपीलान्ट के हकूक खातेदारी जायल होते है तथा उनको नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है, जिस कारण यह अपील पेश है। शेष उजात वक्त बहस निवेदन किये जावेगे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर लक्ष्मणगढ बाबत सनद पटटा संख्या 16 दिनाक 30.04.1985 निरस्त फरमाते हुए विवादित आराजी का पटटा 2/3 हिस्से की हद तक अपीलान्टस के नाम व 1/3 हिस्से की हद तक मृतक देशा सिह के वारिसान रेस्पो० संख्या 1/1 लागायत 1/5 के नाम जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये कि आवंटन हरनाम सिंह को हुआ था लेकिन सनद केवल देशासिंह के नाम जारी हो गया। जबकि अपीलांट पुत्रियां बचनकौर व हरबंश कौर का 1/3–1/3 हिस्से के अधिकारी हैं। ग्राम पंचायत भैंसडायत द्वार दिनांक 21.07.2016 को जारी वारिस प्रमाण पत्र में हरनाम सिंह के तीन वारिस (देशासिंह,बचन कौर,हरवंश कौर) बताये गयें हैं। अतः पट्टा संख्या 16 को निरस्त फरमाया जावे व अपील अपीलांट स्वीकार हो।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि अपीलांट्स द्वारा एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम के यहां पट्टा संख्या 16 से दर्ज व स्वीकार इंतकाल संख्या को चुनौती देते हुए पेश की गई जो दिनांक 01.07.2015 को खारिज हो चुकी है। इसके पश्चात इंतकाल संख्या 54 को ही चुनौती देते हुए एक अन्य अपील प्रकरण संख्या 11/36/2021 उनवान बचनकौर बनाम तहसीलदार गोविन्दगढ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय के यहां पेश की गई जो दिनांक 15.07.2025 को खारिज हो चुकी है। अपील पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 के विरुद्ध लगभग 40 वर्ष बाद दुर्भावनापूर्ण व मिथ्या आधारों पर दायर की गई है। पट्टा जारी होने के बाद इन्तकाल संख्या 54 दिनांक 07.06.1985 तस्दीक हो चुका है तथा भूमि विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा तीसरे व्यक्तियों को विक्रय हो चुकी है, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अपीलार्थियों को पट्टे की जानकारी कम से कम वर्ष 2014–15 से थी, क्योंकि इसी विषय पर पूर्व में राजस्व वाद एवं इन्तकाल अपील सक्षम न्यायालयों द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। अपीलांट्स द्वारा अनावश्यक रूप से बार–बार अपीलें पेश की जा रहीं है जो कि दोषपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अपील तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 30.04.1985 को देशा सिंह के पक्ष में जारी सनद पट्टा संख्या 16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स का मुख्य तर्क है कि विवादित भूमि उनके पिता स्व. श्री हरनाम सिंह को विस्थापित परिवार के भरण–पोषण हेतु आवंटित की गई थी। अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों होने के नाते वे भी 2/3 हिस्से की हकदार हैं, किंतु उनके भाई देशा सिंह ने तथ्यों को छिपाकर छलपूर्वक अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया। राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि यह अपील 40 वर्ष से अधिक के अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। साथ ही, इसी आराजी से संबंधित पूर्व में की गई अपीलें सक्षम न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम व अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय) द्वारा खारिज की जा चुकी हैं और भूमि अब तृतीय पक्षों को बेची जा चुकी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुनौती दिया गया आदेश दिनांक 30.04.1985 का है, जबकि यह अपील लगभग 40 वर्ष बाद की जा रही है जबकि मियाद अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन का उचित और संतोषजनक कारण स्पष्ट करना अनिवार्य होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता का यह कथन कि उन्हें पट्टे की जानकारी 01.07.2015 को हुई, पूर्णतः मिथ्या प्रतीत होता है क्योंकि एक राजस्व वाद संख्या 1/185/2014 सतपाल सिंह बनाम मंग्या आदि, उपखण्ड न्यायालय लक्ष्मणगढ़ में चला था, जिसमें हरनाम सिंह के परिवारजन पक्षकार थे जिसका निर्णय 21.05.2016 को हुआ। इंतकाल संख्या 54 के विरुद्ध पूर्व में ही एक अपील संख्या 11/41/2014 अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर के समक्ष पेश की गई थी, जो 01.07.2015 को गुण–अवगुण पर खारिज हो चुकी है। इसके पश्चात एक और अपील 11/36/2021 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के यहां पेश की गई जो दिनांक 15.07.2025 को अपील खारिज हो चुकि है। इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता को प्रकरण की जानकारी दशकों से थी। विवादित भूमि वर्तमान में अन्य पक्षकारों के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता ने जानबूझकर वर्तमान खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, आवश्यक पक्षकारों को न जोड़ना अपील के दोषपूर्ण होने का आधार है। एक ही विवाद को बार–बार अलग–अलग रूप में न्यायालय के समक्ष लाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विवादित भूमि के हिस्से अन्य व्यक्तियों (तृतीय पक्षकारों) को पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से बेचा जा चुका है। इतने वर्षों बाद पट्टा निरस्त करने से उन निर्दोष क्रेताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि खरीदी थी। जैसा कि न्यायालय हाजा (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) के पूर्व आदेश में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उल्लेखित है, यदि अपीलार्थी स्वयं को सह–खातेदार मानती हैं, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओ में खातेदारी घोषणा (Declaration of Rights) हेतु नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, न कि दशकों पुराने प्रशासनिक आदेश (पट्टा) को अपील के माध्यम से चुनौती देनी चाहिए। इस अपील में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है। पूर्व पत्रावली के आदेश/निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी सनद पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर